अनु० - 13 :- मूल अधिकार के असंगत विधि :-

⇓

✓ ग्रहण या अच्छादन का सिद्धान्त :-

1 - मूल अधिकार के शक्तियों में कमी करने का अधिकार संसद के पास नहीं है।

2 :- यदि भारत के नागरिक है, तो मूल अधिकार का परित्याग नहीं कर सकते।

* सरकार के द्वारा ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं किया जायेगा, जिससे कि मूल अधिकार का अल्पिकरण होता हो। यदि ऐसी कोई विधि बनायी जाती है, तो वह विधि प्रभावहिन या शून्य होगा।
लेकिन मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

⇒ संसद, विधान मण्डल, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी कानून को उच्चतम न्यायालय लागू करने से रोक सकेगा।

अनु- 32
MC- अनु- 226.

① समता या समानता का अधिकार :- अनु० - 14 - 18

अनु० - 14 :- विधि के समक्ष समता का अधिकार

विधि ↓ मानव

मानव → स्त्री, पुरुष

- विधि का समान संरक्षण
  ⇓
  विधि का ज्ञान सभी को हो।
  ⇓
  अमेरिका

- विधि का समान आशय
  ⇓
  विधि सबके लिए एक समान
  ⇓
  ब्रिटेन / डायसी

अपवाद :- राज्य पाल, राष्ट्रपति तथा राजनीयिक पर

↳ संसद सदस्य पर विधि की अलग है - (अनु-105)

अनु० -15 :- समाजिक न्याय - जाति, धर्म, लिंग, वंश व जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नही किया जायेगा।

Social Justice :

- Ex :- 2018 से पहले सबरी माला मन्दिर
केरल
⇓
अयप्पा स्वामी

15- 1- राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ भेद-भाव नहीं किया जायेगा।

2÷ किसी भी सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से राज्य सरकार रोक नहीं लगा सकता।

→ सामुदायिक, तालाब, कुआँ, मन्दिर, विद्यालय अस्पताल, होटल- आदि।

3÷ राज्य महिलाओं, और बच्चों के उत्थान के लिए कार्य कर सकेगा।

4÷ शिशु और महिलाओं जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े रहे हो, राज्य प्रबन्ध

अनु०-16 :- लोक नियोजन में समानता :-

⇓

सरकारी नौकरी

→ सरकारी नौकरियों में जाति धर्म, लिंग वंश व जन्मस्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा।

आर्थिक ⇓ Criminlayer

अनु०-16-D :- नौकरियों में आरक्षण :-

SC/ST/OBC व महिलाओं को नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान है।

OBC - मण्डल
UP सिंह 1979
⇓
लागू - 1989
1990 → 10 वर्ष

103 - C.A.A - 2018-19 - सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर 10% नौकरी के आरक्षण प्रावध

1993

Gen :- 80% - 20%

OBC - 20% - 80%

SC/ST — 100%

→ अधिकतम

अनु-17 :- अस्पृश्यता का अन्त :- ⇒ गाँधी दर्शन का प्रभाव है।

छुआ-छूत

व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति का अधिकार है।

छुआ-छूत के निवारण के लिए, ① शिक्षा ② कानून ③ जनजागरण आवश्यक है।

यदि छुआ छूत को किसी भी रूप से बढ़ावा दिया जाता है तो विधि द्वारा दण्डित किया जायेगा।

अस्पृश्यता निवारण अधि. 1955 → नामपरिवर्तन - समान नागरिक अधिकार संरक्षण अधि. 1976

SC/ST Act 1989